राजस्थान–सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक – F61(17)SSAAT/Telangana Report/2019-20/ 6793 दिनांकः– 13/12/19

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
एवं उपाध्यक्ष, शासी निकाय,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

विषय : सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना राज्य के धरातलीय अध्ययन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपकी स्वीकृति आई.डी. क्रमांक 4791 दिनांक 19.11.2019 की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 6671 दिनांक 22.11.2019 एवं 6690 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियो के दल द्वारा सोसायटी की कार्य व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की गतिविधियों के क्रियान्वयन बाबत् धरातलीय जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 28.11.2019 से 02.12.2019 तक हैदराबाद की यात्रा की गई :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय
1.	श्री रामावतार शर्मा	निदेशक	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
2.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	लेखाधिकारी	यथा
3.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	यथा
4.	श्री श्रवण कुमार जांगिड	सहायक अभियंता	महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति कोटपूतली

हैदराबाद प्रवास के दौरान सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना के कार्यालय एवं ग्राम पंचायतों में अध्ययन, लाभार्थियों, योजना क्रियान्वयन में जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों से हुई वार्ता और सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) तेलंगाना के विभिन्न नियमों, प्रावधानों (Rules & Regulations) के प्रकाश में राजस्थान राज्य की वर्तमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान

SSAAT तेलंगाना की Visit Report

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
1.	**मानव संसाधन की उपलब्धताः–** वर्ष 2016 में राज्य की सोसायटी के लिये वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101602193 दिनांक 21.06.2019 द्वारा निम्न पद स्वीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। निदेशक – 1 (प्रतिनियुक्ति पर) उप निदेशक – 1 (प्रतिनियुक्ति पर) सामाजिक विकास विशेषज्ञ – 1 (वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार संविदा पर) निजी सचिव – 1 (वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार संविदा पर) सहायक लेखाधिकारी प्रथम–1 (प्रतिनियुक्ति पर) कनिष्ठ लेखाकार – 1 (प्रतिनियुक्ति पर) लिपिक ग्रेड द्वितीय –2 (प्रतिनियुक्ति पर) कम्प्यूटर ऑपरेटर – 4 (वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार संविदा पर) सहायक कर्मचारी – 4 (वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार संविदा पर) राज्य संसाधन व्यक्ति – 6 जिला संसाधन व्यक्ति – 99 (3 प्रति जिला) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति – 1649 (6 ग्राम पंचायत पर 1 BRP की दर से) ग्राम संसाधन व्यक्ति – 29500 (100 VRP प्रति पंचायत समिति की दर से) 1. राज्य की SSAAT कार्यालय के नवीन पद सृजन हेतु सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक के निर्णय संख्या 1.6 के अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाये जाने की कार्यवाही पृथक पत्रावली पर विचाराधीन है। 2. पूर्व में वित्त विभाग द्वारा 9894 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति 6 ग्राम पंचायत पर 1 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के अनुसार 1649 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 1251 नई ग्राम पंचायत सृजित की गई है, जिसके अनुसार प्रति 6 ग्राम पंचायतों पर 1 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के आधार पर 209 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति अतिरिक्त स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित है। इसी प्रकार पूर्व में वित्त विभाग द्वारा 295 ब्लॉक के लिए प्रति ब्लॉक पर 100 ग्राम संसाधन व्यक्ति के अनुसार 29500 ग्राम संसाधन व्यक्तियों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 53 नई ब्लॉक सृजित किये गए हैं, जिसके अनुसार प्रति ब्लॉक पर 100 ग्राम संसाधन व्यक्तियों के आधार पर 5300 ग्राम संसाधन व्यक्ति अतिरिक्त स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित है।	**मानव संसाधन की उपलब्धताः–** क :–**प्रशासनिक शाखा** 1- Adm. officer 2- Admn assistant 3- Data Entry operator -2 4- Office subordinate -2 5. Short Term FTEs खः– **लेखा शाखा :–** 1- Accounts Officer 2- Assistant Accounts Officer-3 3- Data Entry Operator - 2 गः– **मानव संसाधन शाखा :–** 1- HR Manager 2- Assistant HRM 3- HR Assistant 4- Data Entry Operator -2 घः– **क्षमता संवर्धन शाखा :–** 1- Programme Manager 2- Assistant Programme Manager णः– **सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा :–** 1- Programme Manager- IT, DM & Records 2- System Manager 3- Assistant Programme Execuitve चः– **प्रोग्राम एवं फिल्ड शाखा :–** 1- State Programme Coordinator 2- Programme. Manager-3 3- State Team Monitor-6 4- Programme Officer-1 5- Assistant Programme Coordinator.-2 6- Data Entry Oprator.- 1 7- Record Assistant 8- DRP-52 9- BRP-442 10- VRP- (40-60 Per block)	जिन पदों की वित्त विभाग से सहमति प्राप्त हो चुकी है। शासी निकाय की अनुशंषा अनुसार और सहमति प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाधीन है। पदों की संख्या फिलहाल तदनुसार ही रखी जानी है।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
2.	**चयन प्रकिया :–** सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर में सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति,एवं जिला संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी प्रकिया शासी निकाय के निर्णय संख्या 1.5 की पालना में विचाराधीन है। वर्तमान में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन जिला स्तर पर किया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य करवाया जा रहा है। पूर्व में उक्त पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तब निम्नांकित पात्रता शर्ते निर्धारित की गई थी :– 1. सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ :– A- आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं समर्थ होना चाहिए। B- आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिए। C- आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि, जिसे कम से कम 5 वर्ष का Social Audit/Accountability Related issues का अनुभव होना चाहिए तथा गरीबों के अधिकार पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। D- Social Science Discipline में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। E- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 2. राज्य संसाधन व्यक्ति :– A- आवेदनकर्ता सिविल सोसायटी से होना चाहिए। B- आवेदनकर्ता को कम से कम 3 वर्ष का Grass Root Experience Working on right based issued होना चाहिए। C- आवेदक स्नातक होना चाहिए। D- आवेदक की आयु 21 से 40 के मध्य होनी चाहिए। 3. जिला संसाधन व्यक्ति :– A- आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं समर्थ होना चाहिए। B- आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिए। C- आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि, जिसे कम से कम 3 वर्ष का Social Audit/Accountability Related issues का अनुभव होनाँ चाहिए तथा गरीबों के अधिकार पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। D- आवेदनकर्ता ग्रेजुएट होना चाहिए। E- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। F- आवेदनकर्ता जिस जिले से है उस जिले हेतु एवं सिविल सोसायटी संगठन में से प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। 4. वर्तमान में ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन जिला स्तर पर किया जा रहा है।	**चयन प्रकिया :–** मानव संसाधन प्रबन्धक द्वारा समस्त State Team Moniters, DRP, BRP की लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। साथ ही लिखित परीक्षा में उतीर्ण होने पर समस्त State Team Moniters, DRP, BRP की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाती है। सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना में State Team Monitor, DRP व BRP के चयन हेतु योग्यताएं निम्नानुसार है: – A- **State Team Monitor** - (i) Age (Min 30yrs. and above) (ii) Qualification.- (PG/MSW) (iii) Eligibility .- (Minimum 5 yrs Experience as social Activist/Social Rural Service or Having minimum 3 yrs Experience. as DRP) (iv) Minimum 60% marks obtain in written examination. State Team Moniter के चयन हेतु उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त कार्यरत ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की कार्य क्षमता एवं योग्यता के आधार पर किया जाता है। State Team Moniters के लिए चयन से पूर्व 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। तीनों सामाजिक अंकेक्षण सफल होने के पश्चात् उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है तथा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पश्चात् पुनः 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने होते हैं। नियुक्ति के पश्चात् तीनों सामाजिक अंकेक्षण सफल करने के बाद ही एक वर्ष का अनुबन्ध किया जाता है। 3 सामाजिक अंकेक्षण की अवधि को परिवीक्षा अवधि माना जाता है तथा तीसरी सफल सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात् ही अनुबन्ध किया जाकर नियुक्ति तिथि से परिवीक्षा अवधि सहित भुगतान किया जाता है।	सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु सोसायटी (SSAAT) राजस्थान जयपुर में निम्नानुसार चयन प्रक्रिया एवं पात्रता शर्ते रखा जाना प्रस्तावित है। 1. सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ राज्य, जिला एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों पर सोसायटी (SSAAT) तेलंगाना की तर्ज पर अखबारों में विज्ञापन जारी करवाकर आवेदन आमंत्रित किये जाने एवं प्राप्त आवेदकों की पात्रता शर्तों की पूर्ति की जांच करवाकर पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की जानी प्रस्तावित है। 2. पात्रता शर्ते पदवार निम्नानुसार रखी जानी प्रस्तावित है :– A- **सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ** i- आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं समर्थ होना चाहिए। ii- आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिए। iii- आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि, जिसे कम से कम 5 वर्ष का Social Audit/Accountability Related issues का अनुभव होना चाहिए तथा गरीबों के अधिकार पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। iv- Social Science Discipline में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। v- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
		B- DRP- (i) Age (Min 24yrs. and above) (ii) Qualification.- (Degree Pass for men /inter pass for Women) (iii) Eligibility.- (Minimum 2 yrs Having minimum 2 yrs Experience as BRP) (iv) Minimum 60% marks obtain in written examination. जिला संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु, के अतिरिक्त तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात् उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है तथा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पश्चात् पुनः 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने होते हैं। नियुक्ति के पश्चात् 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद ही एक वर्ष का अनुबन्ध किया जाता है। 3 सामाजिक अंकेक्षण की अवधि को परिवीक्षा अवधि माना जाता है तथा तीसरी सफल सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात् ही अनुबन्ध किया जाकर नियुक्ति तिथि से परिवीक्षा अवधि सहित भुगतान किया जाता है। **C- BRP-** (i) Age (Min 21yrs. and above) (ii) Qualification- (Degree / Inter pass /10+2 for men /SSC pass for Women) (iii) Eligibility.- (Minimum 3 Audits as VRP) (iv) Minimum 60% marks in written Exam for Men & 50% marks for Women (v) Interview (Minimum 60% marks for Men & 50% marks for Women) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात् उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है तथा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पश्चात् पुनः 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने होते हैं। नियुक्ति के	**B- राज्य संसाधन व्यक्ति** i- आवेदनकर्ता सिविल सोसायटी से होना चाहिए। ii- आवेदनकर्ता को कम से कम 3 वर्ष का Grass Root Experience Working on right based issued होना चाहिए। iii- आवेदक PG / MSW होना चाहिए। iv- आवेदक की आयु 21 से 40 के मध्य होनी चाहिए। **C- जिला संसाधन व्यक्ति** i- आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं समर्थ होना चाहिए। ii- आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिए। iii- आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि, जिसे कम से कम 3 वर्ष का Social Audit/ Accountability Related issues का अनुभव होना चाहिए तथा गरीबों के अधिकार पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। iv- आवेदनकर्ता ग्रेजुएट होना चाहिए। v- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। vi- आवेदनकर्ता जिस जिले से है उस जिले हेतु एवं सिविल सोसायटी संगठन में से प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
		पश्चात् 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद ही एक वर्ष का अनुबन्ध किया जाता है। 3 सामाजिक अंकेक्षण की अवधि को परिवीक्षा अवधि माना जाता है तथा तीसरी सफल सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात् ही अनुबन्ध किया जाकर नियुक्ति तिथि से परिवीक्षा अवधि सहित भुगतान किया जाता है। **D- <u>VRP -</u>** VRP के चयन हेतु ग्राम सभा के दौरान सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा ग्राम पंचायत में उपस्थित उन परिवार के सदस्य, जिन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरी कार्य किया है तथा जिनके बच्चों ने 10वीं अथवा अधिक तक की परीक्षा पास की है, को सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मानव संसाधन शाखा द्वारा निर्धारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त दैनिक मानदेय पर आधारित एक वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है ।	**D- <u>ब्लॉक संसाधन व्यक्ति</u>** (i) Age (Min 21yrs. and above) (ii) Qualification- (Degree / Inter pass /10+2 for men /SSC pass for Women) (iii) Eligibility.- (Minimum 3 Audits as VRP) (iv) Minimum 60% marks in written Exam for Men & 50% marks for Women (v) Interview (Minimum 60% marks for Men & 50% marks for Women) **E- <u>ग्राम संसाधन व्यक्ति</u>** i- ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा नरेगा, PMAG के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता से चयन किया जाना प्रस्तावित है। ii- यदि उक्त (i) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो कोई भी 10वीं पास शिक्षित व्यक्ति इसके लिए पात्र माना जा सकता है। iii- अभ्यर्थी आवश्यक संख्या की तुलना में अधिक हो तो जिला स्तर पर छंटनी प्रक्रिया की जानी प्रस्तावित है। जिसमें आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने जैसे तरीके अपनाए जा सकते है। इस हेतु जिला स्तर पर चयन समिति/सक्षम अधिकारी को अधिकार दिये जाने उचित होंगे।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
3.	**सेवा शर्तेः–** सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं भत्ते देय है तथा संविदा पर चयनित व्यक्तियों को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है।	**सेवा शर्तेः–** 1. सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी तेलंगाना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। 2. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों यथा कार्यालय स्टॉफ, एसटीएम, डीआरपी एवं बीआरपी को वार्षिक अनुबंध किया जाकर मासिक भुगतान किया जा रहा है। 3. VRP को दैनिक मानदेय 100 रू. सामाजिक अंकेक्षण के लिए, 150 रू. भोजन हेतु तथा 50 रू. प्रतिदिन यात्रा हेतु अधिकतम 10 दिवस के लिए नकद भुगतान की जाती है। 4. उपरोक्त संविदा राशि के अतिरिक्त संविदा कर्मियों (F.T.E.s) को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है :– i- Casual Leave - The FTEs are eligible for a maximum 30 days CL per Annual contract period @ 2.5 days per months from the date of Contract/appointment. ii- Loss of Pay - 30 days leave on loss of Pay for authorized absence for genuine reasons per Annual contract period. iii- Maternity Leave - The married women FTEs are entitled for Maternity leave for 180 days two deliveries only. iv- Paternity Leave - The married Male FTEs are entitled for 15 days of Paternity leave for two Children. v- Miscarriage Leave - The married women FTEs are entitled for 6 weeks leave for Miscarriage or medical termination of pregnancy for maximum of two times vi- Special Leave on Medical Grounds - Continuous illness/accident/injuries. vii-Compensatory Leave	1. SSAAT राजस्थान में कार्य संपादन हेतु रखे जाने वाले संविदाकर्मियों (Fix Tenure Employees) यथा सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ राज्य एवं जिला संसाधन व्यक्ति को भारत सरकार एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार से अनुमोदित मासिक संविदा राशियां पदवार निम्नानुसार दिया जाना उचित होगाः– i- सा. अं. विशेषज्ञ – 60,000/- प्रति माह ii- SRP – 40,000/- प्रति माह iii- DRP – 2. BRP हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति एवं पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार दैनिक मानदेय राशि 500/-रू प्रतिदिन देय है। SSAAT तेलंगाना एवं कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत कर्मिकों की ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण सम्पादन में, उनकी MIS रिपोर्ट प्रस्तुत कराने में, ग्राम सभाओं की आम सभा सभाओं की आयोजित कराने में, पाई गई अनियमितताओं की पालना कराने हेतु एवं अन्य सामान्य पर्यवेक्षणिय कार्यों में अत्यधिक भूमिका होती है/रहेगी। एक पंचायत समिति में लगभग 30–40 ग्राम पंचायते है जो दूर–दूर स्थित है और एक जिले में लगभग 300–400 ग्राम पंचायते हैं जिनका पर्यवेक्षण जिला स्तरीय कार्मिक – DRP के लिए बहुत कठिन प्रतीत होता है। पंचायत समिति स्तर पर जो कार्य सम्पादन होने है उनमें

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
			ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण के अतिरिक्त जो कार्य है, उनके लिए यह उचित प्रतीत होता है कि BRP की सेवाएं दैनिक मानदेय आधार पर लेने के स्थान पर उन्हें संविदा आधार पर रखा जावे। वित्तीय दृष्टि से जो राशि वर्तमान मानदेय के अनुरूप मासिक आधार पर बनती है, मासिक संविदा राशि तदनुरूप विचार कर तय की जानी उचित होगी, जिसका अनुमोदन सोसायटी की कार्य समिति, शासी निकाय से करवाकर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। जहां तक संविदाकर्मियों को अन्य सुविधाएं, जो SSAAT तेलंगाना में दी जा रही है, उनमें से यदि कोई सुविधा यथा अवकाश, यात्रा भत्ता आदि दिया जाना उचित समझा जावे तो SSAAT राजस्थान की कार्य समिति, शासी निकाय स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। चूंकि ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भिन्न–भिन्न स्थानों की यात्रा करनी पड़ती है। अतः SRPs,DRPs,BRPs एवं VRPs को यात्रा व्यय पेटे कोई राशि दी जानी उचित होगी। विभिन्न संसाधन व्यक्तियों (यथा सा.अ.विशेषज्ञ, SRPs,DRPs, BRPs आदि) के चयन, मानदेय, अवकाश या यात्रा व्यय से सम्बन्धित विधिवत नियम बनवाये जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाना प्रस्तावित है। जो भी नियम SSAAT राजस्थान में लागू होंगे, उनको वेबसाईट पर प्रकाश्वित कराया जाना भी प्रस्तावित है।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
4.	लेखांकन एवं भुगतान प्रणालीः– सोसायटी SSAAT राजस्थान की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 में निर्णय लिया गया कि सोसायटी द्वारा सामान्य वित्तीय लेखा नियम (GF & AR), राजस्थान सेवा नियम (RSR) व राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम (RTPP Rules) के प्रावधान Adopt किये जावेंगे।	लेखांकन एवं भुगतान प्रणालीः– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना का लेखा संबंधी समस्त कार्य IFMS द्वारा Tata Consultancy Services के माध्यम से कराया जा रहा है। IFMS System भी TCS द्वारा Data Software तैयार कर मण्डल/ब्लॉक स्तर पर प्रेषित किया जा रहा है। **कार्यालय के 2.00 लाख तक के भुगतान हेतु निदेशक को अधिकृत किया हुआ है। अगर भुगतान 2.00 लाख से अधिक है तो उसके लिए प्रमुख सचिव स्तर से अनुमोदन आवश्यक है।** **कार्यालय स्टॉफ के अलावा समस्त संविदा कर्मीयों को भी यात्रा भत्ता देय है :–** DRP, BRP को निम्नलिखित कार्य हेतु भी यात्रा भत्ता दिया जाता है :– कार्यालय के कार्य हेतु आने जाने पर प्रशिक्षण में भाग लेने पर नियमित/विशेष/आंशिक सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी स्थानीय यात्रा भत्ता देय होगा, जो अधिकतम 650/– रू0 प्रत्येक राउण्ड के लिए होगा। मुख्यालय में मीटिंग में भाग लेने अथवा बुलाये जाने पर भी वास्तविक व्यय हुआ यात्रा व्यय का पुनर्भुगतान किया जावेगा।	सोसायटी SSAAT राजस्थान में राजस्थान सरकार के प्रचलित सामान्य वित्तीय लेखा नियम (GF & AR), राजस्थान सेवा नियम (RSR) व राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम (RTPP Rules) के प्रावधान लागू किये गये है। अतः राजस्थान सरकार में प्रचलित ऑनलाईन भुगतान व्यवस्था (IFMS) तथा प्रक्रियाएं सोसायटी में भी लागू की जा सकती है। सोसायटी SSAAT राजस्थान के Rules of Business एवं Schedule of Power शासी निकाय के क्रमशः निर्णय संख्या 1.1 तथा 1.2 की पालना में तैयार किये जाकर सक्षम अनुमोदन अनुसार लागू किये जावेंगे।
5.	प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन :– वर्तमान में जिला स्तर पर ही बीआरपी व वीआरपी को प्रशिक्षण की व्यवस्था की हुई है। डीआरपी व एसआरपी वर्तमान में नियुक्त नहीं है।	प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन :– 1.Capacity Building शाखा में कार्यरत Programme Manager एवं Assistant Programme Manager द्वारा समस्त State Team Moniter, DRP, BRP के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार State Team Moniter एवं DRP के 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम NIRD द्वारा किया जाकर प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा Capacity Building के शाखा में कार्यरत Programme Manager एवं Assistant Programme Manager द्वारा BRP एवं VRP के चार दिवसीय प्रशिक्षण की कार्यवाही भी निर्धारित की जाती है।	प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के लिए हैदराबाद प्रवास के दौरान NIRD हैदराबाद में भी डॉ. धीरजा मैडम से अध्ययन दल द्वारा वार्ता की गई थी। भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्था इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से NIRD के मार्गदर्शन में उचित कार्यवाही की जावेगी।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
6.	**सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था :–** वर्तमान में सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था के तहत सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जो कि महात्मा गांधी नरेगा के अंग के रूप में कार्यरत था, द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर जारी किया जाकर वर्ष मे 2 बार सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य वर्ष 2019–20 के द्वितीय छः माही का कलेण्डर इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 6650 दिनांक 21.11.2019 को जारी किया गया है।	**सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था :–** मानव संसाधन शाखा द्वारा राज्य की समस्त ग्राम सभाओं के लिए सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कलैण्डर जारी किया जा रहा है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना द्वारा वर्ष में एक बार ही सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा 2 ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा का आयोजन सरपंच की अध्यक्षता में न कर अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में होता है। ग्राम सभा में निर्धारित कोरम का होना आवश्यक है अगर निर्धारित तिथि को कोरम का अभाव रहता है तो अगले दिन ही ग्राम सभा का आयोजन होता है। प्रथम ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाता है तथा दूसरी ग्राम सभा में जनसुनवाई की जाती है । तेलंगाना में सामाजिक अंकेक्षण दल को निदेशक, उप निदेशक SSAAT एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विस्तृत ब्यौरा बताया गया एवं ग्राम पंचायत और लाभार्थियों, BRPs/VRPS से व्यावहारिक तौर पर विचार–विमर्श भी किया गया। तेलंगाना प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण टीम DRP के मार्गदर्शन में एक मण्डल (पंचायत समिति) के समस्त BRPs, मण्डल (पंचायत समिति) कार्यालय में जाते हैं। समस्त पंचायतों से ग्रामीण विकास योजनाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाभार्थियों/लाभार्थी परिवारों से कक्षा 10 तक शिक्षित इच्छुक व्यक्तियों की पहचान की जाती है और इन्हें मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ–साथ मण्डल स्तर से सभी ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के मूल रिकॉर्ड Measurement Books (MBs), मस्टररोल आदि प्राप्त किया जाकर ग्राम पंचायत वार कार्यों, लाभार्थियों आदि की सूचियां तैयार कर एक ग्राम पंचायत हेतु 4–5 ग्राम संसाधन व्यक्ति/ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों (Village Social Auditors) एवं एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की टीम तैयार की	SSAAT तेलंगाना की तर्ज पर सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर मुख्यालय से जारी किया जाना उचित होगा। राज्य में ग्राम पंचायतों को ही राशियां प्राप्त होती है एवं पंचायत समितियों के साथ–साथ ग्राम पंचायतों में भी योजनाओं का मूल रिकॉर्ड रहता है। अतः सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को निर्देशित कराना जरूरी है कि वे सामाजिक अंकेक्षण का रिकॉर्ड 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण दल को उपलब्ध करावें। सामाजिक अंकेक्षण दल में एक BRP के 5 VRPs रखे जाने उचित होंगे जो प्रभावी DRP के मार्गदर्शन में सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित करेंगे। 5 दिनों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था पूर्ववत रखी जानी उचित होगी जिसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्रों में लाभार्थियों के हस्ताक्षर भी सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा कराये जाने अपेक्षित है। 5वें दिन सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन पूर्व निर्धारित रहना चाहिए और इसका प्रचार–प्रसार भौतिक सत्यापन के दौरान भी किया जावे तथा पारम्परिक तरीकों जैसे माइक या ढोल बजवाकर गांव में उदघोषणा करना, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, पम्पलेट बंटवाना, मुख्य–मुख्य स्थानों पर पर्चे चस्पा करना आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार हो ताकि सभी लोगों को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की सूचना पहुंच सकें। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा में निर्धारित कोरम का होना आवश्यक

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
		जाती है फिर सभी दल ग्राम पंचायतवार पूरे मण्डल (पंचायत समिति) में योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, उनकी नाप जोख (Measurement) ग्राम तकनीकी सहायक आदि की सहायता से करवायी जाती है और समस्त लाभार्थियों एंव नरेगा मजदूरों से भुगतान किये गये विवरण बाबत् व्यक्तिशः जानकारी लेकर हस्ताक्षर कराये जाते है। यदि कहीं स्वीकृति एवं किये गये भुगतान अथवा भौतिक कार्य में अन्तर पाया जाता है तो उसका समस्त विवरण (Deviations Statement) तैयार किया जाता है। चार दिवस तक भौतिक सत्यापन कार्य पश्चात् पांचवे दिन सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इसका प्रचार–प्रसार भौतिक सत्यापन दिवसों में व्यक्तिगत रूप से और प्रचार–प्रसार के स्थानीय साधनों/उपायों से समस्त ग्राम पंचायत में करवाया जाता है। ग्राम सभा में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अधिकारीगण भी भाग लेते हैं। किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में पर्यवेक्षण हेतु भी लगाया जाता है। ग्राम सभा की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी करवायी जाती है। एवं की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण मय उपस्थित ग्रामीणों/अधिकारियों के हस्ताक्षर तैयार करवाये जाते है। उक्त समस्त कार्यवाही DRP के मार्गदर्शन में BRPs एवं VRPs द्वारा करायी जाती है।	है। अगर सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में कोरम का अभाव रहता है तो तेलंगाना राज्य की तर्ज पर अगले ही दिन प्रातः सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन किये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन पूर्व में निर्धारित तिथि को ग्राम सभा का आयोजन होता है जिसमें पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानानुसार सरपंच द्वारा अध्यक्षता की जाती है। चूंकि सरपंच योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं एवं सीधे रूप से उनकी जवाबदेही होती है अतः उनकी अध्यक्षता में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा रखा जाना उचित नहीं है। इस हेतु या तो इसका विधिक परीक्षण करवाकर या भारत सरकार के ध्यान में यह बिन्दु डालकर ऐसी व्यवस्था कायम की जानी अपेक्षित है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता तेलंगाना की तर्ज पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जावे। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में सभी योजनाओं की अनियमितताओं का विवरण पढ़ा जाकर वहां उपस्थित आम नागरिक एवं इन अनियमितताओं के लिए कोई दोषी व्यक्ति हो तो उसका पक्ष भी अंकित किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं की विडियोग्राफी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और फोटोग्राफ्स नरेगा साफ्टवेयर पर रिपोर्टस् के साथ अपलोड किये जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
			यह रिपोर्टस् अपलोड की व्यवस्था सामाजिक अंकेक्षण कार्य में लगे हुए BRP द्वारा कायम की जा सकती है। जहां आवश्यकता हो वहां सम्बन्धित पंचायत समिति के MIS प्रबन्धक या कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा करायी जानी अपेक्षित है। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्टस् की भौतिक प्रतियां जिला स्तर पर विधिवत रूप से संधारित रजिस्टर्स में दर्ज की जाकर जिला कार्यालयों में DRP की देखरेख में रखा जाना अपेक्षित है। इन रिपोर्टस् मे प्राप्त अनियमितताओं की परीक्षण उपरान्त निदेशक सामाजिक अंकेक्षण द्वारा सम्बन्धित योजना विभाग के शासन सचिव को पालनार्थ एवं दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों / जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु भेजना प्रस्तावित है; निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण SSAAT द्वारा समस्त सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर (योजना के प्रभारी विभाग से विचार–विमर्श कर) जारी करने, सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं के कलैण्डर अनुसार क्रियान्वित कराना, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के आयोजन की मॉनिटरिंग करना, जहां सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाएं नहीं हो सकी वहां आयुक्त, पंचायती राज से सम्पर्क कर ग्राम सभाएं आयोजित कराना, अनियमितताओं की समीक्षा कर उनकी पालना कराना और दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों / जन प्रतिनिधियों से वसूली एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जावेगा।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
			निदेशक द्वारा नियमित प्रगति CAG तथा भारत सरकार को भी भिजवायी जावेगी। सामाजिक अंकेक्षण का सारांश तैयार कर वार्षिक आधार पर निदेशक SSAAT द्वारा प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) को प्रस्तुत किया जावेगा जो उपयुक्त प्रक्रिया से राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जावेगा।
7	**जन सुनवाई :–** वर्तमान में जन सुनवाई का कोई प्रावधान नही है।	**जन सुनवाई :–** सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना द्वारा दूसरी ग्राम सभा जनसुनवाई के लिए आयोजित की जाकर प्राप्त अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतों पर संबंधित दोषी अधिकारी को सुनवाई का मौका दिया जाकर उस विभाग के विभागीय अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत पक्ष को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त दण्डादेश या दण्ड की अनुशंषा जारी कर प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है।	राज्य में जन सुनवाई व्यवस्था की जानी उचित होगी। इस बाबत् हाल में श्री राम लुभाया जी सेवानिवृत आई.ए. एस. की अध्यक्षता में लोक सेवाओं के समय पर उपलब्ध कराने बाबत् Rajasthan Public Service Delivery & Accountability Bill तैयार किया जा रहा बताया जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत जन सुनवाई व्यवस्था कायम किये जाने की भी चर्चा हुई थी। तथापि जन सुनवाई व्यवस्था किये जाने बाबत् उचित निर्णय SSAAT राजस्थान में सक्षम स्तर पर किया जाना उचित होगा।
8.	**सतर्कता शाखा :–** वर्तमान में सतर्कता शाखा की व्यवस्था नही है संबधित विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जाती है।	**सतर्कता शाखा :–** कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता, चोरी, गबन, भ्रष्टाचार आदि पर स्वत्रंत रूप से कार्यवाही/निस्तारण करने के लिए पृथक रूप से आचार संहिता नियम बनाये गये है। इसी प्रकार योजना क्रियान्वयन सम्बन्धी अनियमितताओं के लिए भी दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वत्रंत सतर्कता शाखा कार्यरत है जो स्वत्रंत रूप से कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।	राजस्थान सरकार में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। SSAAT राजस्थान के प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/ कर्मचारियों पर RCS (CCA) के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी उचित होगी परन्तु अन्य संविदाकर्मियों के लिए SSAAT तेलंगाना की तर्ज पर Code of Conduct & Decipline नियम बनाकर दोषी संविदाकर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
9.	**सामाजिक अंकेक्षण न्यायालय :–** वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नही है।	**सामाजिक अंकेक्षण न्यायालय :–** तेलंगााना राज्य में सामाजिक अंकेक्षण प्रकरणों की सुनवाई हेतु से सामाजिक अंकेक्षण न्यायालय की स्थापना भी की गई है ।	SSAAT तेलंगाना की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में पायी गई अनियमितताओं पर कार्यवाही करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण न्यायालय स्थापित है। इसी तर्ज पर यदि राज्य सरकार कोई नीतिगत निर्णय करती है तो उपयुक्त न्यायालय बनाए जा सकते है। यह कार्य SSAAT राजस्थान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने से राज्य सरकार द्वारा ही उपयुक्त कार्यवाही अपेक्षित है।
10.	**कार्यालय उपलब्धता (Space for Office) :–** सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के लिए सचिवालय परिसर में कार्यालय स्टाफ को बैठने के लिए उत्तर पश्चिम भवन में कमरा नम्बर 8320 तथा निदेशक के लिए कमरा नम्बर 8232 में व्यदस्था की गई है ।	**कार्यालय उपलब्धता (Space for Office) :–** सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भवन (DWCRA बिल्डिंग) में संचालित है, जिसके लिए भवन की तीसरी मंजिल सोसायटी को आंबटित है । इसके अतिरिक्त रिकार्ड सुरक्षित रखने के लिए भवन के ग्राउण्ड फ्लोर में एक अतिरिक्त हॉल आबंटित है ।	राज्य स्तर पर कार्यालय हेतु उपयुक्त स्थान एवं जिलों/ पंचायत समितियों में उपयुक्त कार्यालय स्थान की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। ताकि सामाजिक अंकेक्षण कार्य विधिवत सम्पन्न हो सके।
11	**सोसायटी की web site :–** पृथक वेबसाईट नही है।	**सोसायटी की web site :–** सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, तेलंगाना ने अपनी एक Website तैयार की है, जिसका संचालन Tata Consultancy Services के द्वारा वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर किया जा रहा है।	SSAAT राजस्थान की भी वेबसाईट बनवाना उचित होगा जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी उचित होगी।
12.	**MIS व्यवस्था :–**	**MIS व्यवस्था :–** भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण की गतिविधियों को MIS पर अपलोड करने का कार्य ब्लॉक संसाधन व्यक्ति द्वारा ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण ब्लॉक की डाटा एन्ट्री जिला संसाधन व्यक्ति को अग्रेषित किया जाता है, जिसकी जांच राज्य स्तर पर State Team Moniter द्वारा की जाती है। राज्य की समस्त सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टस् मुख्यालय स्तर पर मंगवाई जाती है, जिसकी जांच मुख्यालय स्तर पर की जाकर Tata Consultancy Services के माध्यम से Scan की जाकर स्वयं की Website पर अपलोड कराई जा रही है। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की संकलित	भारत सरकार के निर्देशानुसार अपेक्षित MIS सूचनाएं उनके Software पर Upload करवाने एवं नियमित सूचनाएं सभी संस्थाओं/ भारत सरकार/ SSAAT की कार्यसमिति, शासी निकाय के अधिकारगण को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टस् पंचायत समितियों के BRPs में Upload करायी जानी प्रस्तावित है। जिन पर जिला स्तर पर DRP एवं राज्य स्तर पर प्रभारी अधिकारी (SRP) द्वारा पर्यवेक्षणीय जांच की जाकर सम्बन्धित कार्यालयों/

क्र.सं.	राजस्थान में वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था	SSAAT हैदराबाद (तेलंगाना) में प्रचलित व्यवस्था	राज्य में SSAAT राजस्थान की कार्यव्यवस्था हेतु अनुशंषा
		सूचना ग्राम स्तर पर तैयार होकर ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर तथा जिला स्तर से मुख्यालय स्तर पर Online पेश की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण की सभी रिपोर्टस की मूल प्रतियां मुख्यालय स्तर पर व्यवस्थित रिकार्ड रूम में सुरक्षित डबल लॉक में रखवायी जाकर संधारित की जाती है।	अधिकारियों को प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
सहायक लेखाधिकारी द्वितीय
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी

(श्रवण कुमार जांगिड)
सहायक अभियंता
महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत
समिति कोटपूतली

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
लेखाधिकारी
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी